न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2023
जीसीएमएस संख्या–2023/143

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.गीता देवी पत्नि हरकाराम जाति माली निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर		1.अमराराम पुत्र नाथुराम 2.गिरधारीराम पुत्र नाथुराम 3.बलवीर पुत्र नाथुराम 4.मदनलाल पुत्र नाथुराम 5. सुनिल पुत्र नाथुराम जति माली निवासीगण बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर। 6. अब्दुल शकूर पुत्र कालू खां जाति सिपाही मुसलमान निवासी बोरूंदा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर। 7.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक 19/06/2023

उपस्थित अधिवक्ता
1. श्री विजय चौहान/श्री राजेन्द्र देवड़ा प्रार्थीगण ओर से।
2. श्री प्रमोद कच्छावाह अप्रार्थीगण 1 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की कब्जासुदा एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 630 (छः सौ तीस) क्षेत्रफल 2.6616 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जो कि वादग्रस्त है, सबूत में नकल जमाबंदि सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश की। वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से स्थापित कब्जा व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है प्रार्थीया के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या एक से छः आये दिन प्रार्थीया के खेत की मॉठ खुर्द–बुर्द करते रहते है व काश्त के समय हमेंशा विवाद रहता है इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईस करवाकर सीमा कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पेमाईश दिनांक 01.06.2022 को हो रखी है जिसे अप्रार्थी संख्या एक से छः मानने से इन्कार कर रहे है इसलिए प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा ग्राम बोरून्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 630 क्षेत्रफल 2.6616 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर अधिवक्ता प्रमोद कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार खसरा संख्या 630 के उत्तर तरफ डामर सडक खसरा नबंर 611 स्थित है। उक्त भूमि के पश्चिम तरफ अप्रार्थी सख्या एक से पांच की खरीदशुदा, खातेदारी भूमि खसरा नबर 630/1 व 634 स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या एक से पांच की भूमि खसरा नबंर 630/1 के मध्य प्रार्थीया द्वारा पक्की चारदिवारी का निर्माण करवा रखा है इसलिए दोनो खेतो के मध्य मौके पर सीमा को लेकर विवाद किसी प्रकार से नही है। प्रार्थीया के खातेदारीशुदा भूमि खसरा नबंर 630 व अप्रार्थी संख्या एक से पांच के खेत खसरा नबंर 630/1 के मध्य पक्की चारदिवारी निर्मित है जो स्वंय प्रार्थीया द्वारा निर्मित करवाई गई है इसलिए प्रार्थीया के खेत की माठ को खुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्राथीया व अप्रार्थी संख्या एक से पांच की भूमि डामर सडक खसरा नबंर 611 पर स्थित है इसलिए प्रार्थीया व अप्राथी संख्या एक से पांच के खेतों की कुछ भूमि रास्तें की भूमि में जा चुकी हैमौके पर किसी प्रकार की सीमांकन को लेकर विवाद की स्थिति नहीं है। प्रार्थीया व अप्राथर्थी संख्या एक से पाच के खेत के मध्य चारदिवारी निर्मित है इसलिए प्राथीया पत्थरगढी करवाने की अधिकारिणी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम बोरून्दा के खसरा संख्या 630 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 630 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीया के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीया वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 630 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर